न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 28/2016
राजस्व अपील संख्या 31/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जूठाराम पुत्र मैदाजी जाति चौधरी निवासी सामतीपुरा तहसील जालोर		1. सांवलाराम पुत्र चोलीया जाति चौधरी निवासी सामतीपुरा तहसील जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री तेजसिंह बालावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11/2/19

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2013 जूठाराम बनाम सांवलाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही प्रकरण एवं समान पक्षकार के मध्य विचाराधीन होने से समेकित रूप से निर्णित की जा रही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सामतीपुरा तहसील जालोर के गत खसरा नम्बर 61 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 56 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा कल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट की सह खातेदारी भूमि है। सेटलमेन्ट के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते वक्त भू–प्रबन्ध अधिकारीयों की गलती से अपीलाण्ट के खाते में 0.34 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में दर्ज कर दी। जिसको दुरूस्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त 0.34 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते से कम कर अपीलाण्ट के खाते में दर्ज कराते हुए खातेदारी घोषणा एवं स्थाई व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद जवाबदावे में नियत था। इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किए एवं अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। लोक अदालत के मध्य सहमति से ही निर्णय पारित किया जा सकता है, जबकि प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पक्षकार सहमत ही नहीं थे, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड आदि दस्तावेजात् की जांच कर राजस्व लोक अदालत में सुनवाई करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी के गत रेकर्ड के मुकाबले वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भूमि का क्षेत्रफल कम दर्ज होना तथा जो क्षेत्रफल कम हुआ है, वह रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज किया जाना बताते हुए उक्त 0.34 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते से कम करते हुए अपनी खातेदारी में घोषित कराने का अनुतोष चाहा। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये खारिज़ किया। अब प्रकरण में जिन गत खसरा नम्बर एवं उससे तहरीर किए गए वर्तमान खसरा नम्बर का तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है –

गत खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
56	31 बीघा 14 बिस्वा	105	1.93
		107	0.80
		108	0.88
	31 बीघा 14 बिस्वा	कुल खसरा 3	कुल रकबा 3.61 है0
61	10 बीघा 8 बिस्वा	106	1.01
		113	0.79
		114/512	0.14
		115/513	0.05
		106/551	0.48
		114/552	0.32
	10 बीघा 8 बिस्वा	कुल खसरा 6	कुल रकबा 2.79 हे0

गत रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 56 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा की भूमि कनीया, कालीया, देवा पि0 रामा, जुजिया वल्द भबुता 1/2, मेदा पुत्र नाथा 1/2 कौम चौधरी सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 61 की भूमि कनीया, कालीया, देवा पि0 रामा, जुजिया वल्द भबुता कौम चौधरी सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस अनुरूप गत खसरा नम्बर 61 की भूमि में अपीलाण्ट के पिता के नाम खातेदारी ही दर्ज नहीं है। इसके पश्चात सिलसिलेवार हुए राजस्व रेकर्ड में परिवर्तनों एवं नामान्तरकरण संख्या 124 स्वीकृत होने के फलरूवरूप जैर अपील विवादित आराजी खसरा नम्बर 105, 106, 107, 108, 114/512, 115/513 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 4.81 हेक्टेयर की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कानीया, देवा पि0 रामा, 1/3, मेती पत्नी मानाराम, अचलाराम, पूनमाराम, दिनेश कुमार पि0 मानाराम, सुनी, लीला, माफी पुत्रियां मानाराम 1/3, जूठाराम वल्द मेंदा 1/3 कौम चौधरी सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण किस सन्दर्भ में दायर होकर स्वीकृत हुआ है, उसका कोई प्रमाण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। इसके पश्चात विभाजन होने के फलस्वरूप नामान्तरकण संख्या 205 स्वीकृत किया गया, जिसके पश्चात अपीलाण्ट के खाते में खसरा नम्बर 106, 114/512, 115/512, 771/105 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर दर्ज किया गया। गत रेकर्ड के अनुसार अपीलाण्ट के पिता का खसरा नम्बर 56 की भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज था, जिसके अनुसार अपीलाण्ट के पिता के नाम 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि होती है। इसे हैक्टेयर प्रणाली में तब्दील करने पर 2.54 हैक्टेयर के लगभग होता है। इस अनुसार अपीलाण्ट के पक्ष में जो भूमि दर्ज की गई है, वह गत रेकर्ड के मुकाबले काफि कम है। हालांकि यह पृथक विषय है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते में समाहित हुई अथवा नहीं ? किन्तु प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के पक्ष में जो भूमि दर्ज हुई, वह गत रेकर्ड की अपेक्षा कम दर्ज होना प्रमाणित होता है। अब यह भूमि किसी आदेश के जरिये कम की गई अथवा जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकण जो परिवर्तन हुए, उनसे कम हुई, यह परीक्षण का विषय था, जो परीक्षण न्यायालय के समक्ष समुचित दस्तावेजी साक्ष्यों से ही साबित हो सकता था, किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा रेकर्ड का अवलोकन किए बिना ही राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान् की उपस्थिति दर्ज करते हुए जो निर्णय पारित किया है, उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि जहां रेकर्डेड त्रुटी आलेख पर स्पष्टतः प्रदर्शित होती हो, वहां प्रकरण का समुचित साक्ष्य, सुनवाई के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए, यही विधि की मंशा है। इन कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2013 जूठाराम बनाम सांवलाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त Observation के आधार पर रेकर्ड का परीक्षण कर उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की पृथक पृथक प्रति सम्बन्धी पत्रावली में नत्थी हो। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर